	19. (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य उस प्रभाव का लिखित नोटिस फर्स्ट कैप्टन को देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसे इस्तीफा को फर्स्ट कैप्टन द्वारा इसके प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा । (2) सेकेंड कैप्टन लिखित में फर्स्ट कैप्टन को नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन ग्राम परिषद जब तक इसे स्वीकृत नहीं कर देती इसे प्रभावी नहीं माना जाएगा । (3) फर्स्ट कैप्टन सहायक आयुक्त को लिखित सूचना देकर अपना इस्तीफा दे सकता है लेकिन इसे तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक वह इसे स्वीकार नहीं कर लेता ।	पद से इस्तीफा
	20. (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य निर्धारित तरीके से लिखित सूचना देकर फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है । (2) जिस तारीख में प्रस्ताव पारित किया गया हो उससे पन्द्रह दिनों के भीतर विचार–विमर्श हेतु और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी । (3) यदि 'अविश्वास प्रस्ताव' में ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, ग्राम परिषद, ग्राम साधारण निकाय से फर्स्ट कैप्टन को पद से हटाने की सिफारिश करेगी । (4) उप धारा (3) के तहत सिफारिश प्राप्त होने पर ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गणपूर्ति के लिए ग्राम साधारण निकाय की कुल सदस्यों का पाँचवा भाग से कम न हो और उपस्थित सदस्यों की बहुमत से सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की जाएगी । (5) उप धारा (4) के तहत सिफारिश को मंजूरी प्राप्त होने पर मंजूरी की तारीख से फर्स्ट कैप्टन का पद समाप्त हो जाएगा । (6) यदि ग्राम परिषद की सिफारिश मंजूर नहीं की जाती अथवा ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, ग्राम साधारण निकाय की मंजूरी प्राप्त करने हेतु सिफारिश के असफल हो जाने पर अथवा गणपूर्ति की कमी जिस कारण सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सका, से एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।	फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव